न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 180/2024

प्रार्थीगण :–

1. रईस खान पुत्र रसीद खान जाति मुसलमान(पठान) निवासी तिवारियों की पोल, बढेर चौक ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. सुबराती खान पुत्र मुस्तफा खां जाति मुसलमान(सिपाही) निवासी सुभाष कॉलोनी बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
3. साबिर खा पुत्र कालू खां जाति मुसलमान(सिपाही) निवासी सुभाष कॉलोनी बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा
2. कमलादेवी पुत्री उदाराम
3. गीतादेवी पुत्री उदाराम
4. नारायण पुत्र उदाराम
5. राजू पुत्र उदाराम
6. राधादेवी पत्नी उदाराम जातियान धोबी निवासीगण ग्राम मालकोसनी तहसील बिलाडा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :– प्रार्थीगण की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी सं. 2 से 6 स्वयं उपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 1–सरकारी पैरोकार

<u>आदेश</u> **दिनांक:–** 17/12/24

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मालकोसनी तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 791/43 रकबा 1.4967 हैक्टयर आई हुई है जो प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि है जिसे संलग्न नजरी नक्शे में मार्क ए.बी.सी.डी. से दर्शित किया है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा सं. 791/43 के उतर में खसरा सं. 783 की भूमि है जो गै मु. रास्ता है जो ग्राम पंचायत के अधीनस्थ भूमि है पशिचम में खसरा सं. 791/6 की भूमि है जो खातेदार कूलराम वगैरा की संयुक्त खातेदारी भूमि है, दक्षिण में खसरा सं. 791/75 की भूमि है जो खातेदार ओगडराम वगैरा की संयुक्त खातेदारी भूमि है तथा पूर्व में खसरा सं. 791/37 व खसरा सं. 791/200 की भूमि है खसरा सं. 791/37 खातेदार कमला वगैरा की संयुक्त खातेदारी भूमि है तथा खसरा सं. 791/200 खातेदार नारायणलाल की खातेदारी की भूमि है प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा सं. 791/43की ऑनलाईन नक्शे में मौके पर प्रार्थीगण के काबिज अनुसार तरमीम नहीं की गयी, जबकि मौके पर प्रार्थीगण उपरोक्त पडौस मे मध्य स्थित भूमि पर काबिज है व काश्त करते आ रहे है। जिसके संबंध में रंगीन फोटोग्राफ भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर पेश है। ऑनलाईन नक्शे में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा सं. 791/43 के स्थान पर हल्का पटवारी द्वारा खसरा सं. 791/74 की गलत तरमीम कर दी तथा खसरा सं. 791/74 की भूमि खातेदार कमलादेवी वगैरा की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिनका कब्जा काश्त ऑनलाईन नक्शे में की गयी गलत तरमीम के अनुसार मौके पर नहीं है। इस प्रकार खसरा सं. 791/74 की

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तरमीम हल्का पटवारी द्वारा ऑनलाईन नक्शे में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा सं. 791/43 के स्थान पर खसरा सं. 791/74 की गयी गलत तरमीम को दुरूस्त कर सही तरमीम प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क ए.बी.सी.डी अनुसार किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र बाबत तरमीम दुरूस्ती का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश का निवेदन है कि राजस्व ग्राम मालकोसनी तहसील बिलाडा में स्थित भूमि खसरा सं. 791/43 रकबा 1.4967 हैक्टयर के स्थान पर ऑनलाईन नक्शे में खसरा सं. 791/74 कि की गयी गलत तरमीम को दुरुस्त कर उसके स्थान पर ऑनलाईन नक्शे में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क ए.बी.सी.डी के अनुसार सही तरमीम दुरुस्त किये जाने हेतु अप्रार्थी को आदेशित किया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये समन से तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 से 6 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं. 2 से 6 का कब्जा काश्त ऑनलाईन नक्शें में जहां खसरा सं. 791/43 की गलत तरमीम हो रखी है, उप पर है। इसलिए ऑनलाईन नक्शे में खसरा सं. 791/43 के स्थान अप्रार्थी सं. 2 से 6 की खातेदारी भूमि खसरा सं. 791/74 की तरमीम किया जाना आवश्यक है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम मालकोसनी तहसील बिलाडा के आनलाईन नक्शे में खसरा सं. 791/74 की गलत तरमीम के स्थान पर खसरा सं. 791/43 की सही तरमीम करने व खसरा सं. 791/43 की गलत तरमीम के स्थान पर खसरा सं. 791/43 की सही तरमीम करने हेतु अप्रार्थी सं. 2 से 6 सहमत है।

अप्रार्थी सं. 1 सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब मय नजरी नक्शा पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मालकोसनी तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 791/43 रकबा 1.4967 हैक्टयर आई हुई है। जो प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कब्जासुदा भूमि है। प्रार्थीगण के कब्जासुदा खसरा सं.791/43 रकबा 1.4967 हैक्टयर के उतर दिशा में खसरा नंबर 783 की भूमि है जो गै मु रास्ता के रूप में काम आ रही है। जो ग्राम पंचायत के अधीनस्थ भूमि है। डीआईएलआरएमपी कार्यक्रम के तहत ऑनलाईन तरमीम के तहत वादीगण के कब्जासुद खसरा नंबर 791/43 के स्थान पर खसरा नंबर 791/74 की तरमीम ऑनलाईन नक्शे में कब्जे के विपरीत कर दी गई, जो सही नहीं है। ऑनलाईन नक्शे में जहां 791/74 की तरमीम की गई है वहां पर कब्जा 791/43 के खातेदारों का है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द व नजरी नक्शे में भी खसरा नंबर 791/43 को खसरा नंबर 783 के दक्षिण में तथा 783 को खसरा नंबर 791/43 के उतर में दर्शाया गया है जो वादीगण के कब्जेअनुसार है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खसरा नंबर 791/74 की तरमीम 791/43 के स्थान पर की गई है। 791/74 की तरमीम को हटाने व दुरूस्त करने हेतु संबंधित खातेदारों का वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। तथा 791/74 के स्थान पर

791/43 की तरमीम दुरूस्ती हेतु 791/74 के खातेदारों को सुना जाना आवश्यक रहेगा।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर मनन एवं अध्ययन किया गया। जिससे विदित होता है कि ग्राम मालकोसनी तहसील बिलाडा के खसरा सं. 791/43 रकबा 1.4967 हैक्टयर प्रार्थीगण की रेकर्डेड खातेदारी की भूमि है, हल्का पटवारी मालकोसनी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 16.10.2024 के अनुसार खसरा नंबर 791/43, खसरा नंबर 783 के दक्षिण दिशा में स्थित है तथा इसी अनुसार मौके पर खातेदारान का कब्जा काश्त है। लेकिन डीआईएलआरएमपी के तहत ऑनलाईन तरमीम करते समय कब्जे के विपरीत तरमीम कर दी गई है। जहां खसरा नंबर 791/43 होना चाहिए वहां 791/74 की तरमीम व जहां खसरा नंबर 791/74 की तरमीम होनी चाहिए वहां खसरा नंबर 791/43 की तरमीम कर दी गई है। अप्रार्थी सं. 1 सरकारी पैरोकार ने संबंधित खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया बताया किन्तु प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर संबंधित खातेदारों को पक्षकार बना कर संशोधित प्रार्थना पत्र शीर्षक पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं 2 से 6 ने प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे अनुतोष के संबंध में अपनी सहमति प्रदान की है। ऑनलाईन नक्शे में उक्त खसरान की गलत तरमीम को दुरुस्त किया जाना उचित है तथा हल्का पटवारी मालकोसनी ने भी मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 16.10.2024 के अनुसार उक्त खसरा के संबंध में ऑनलाईन भू-नक्शा व धरातल पर भिन्नता होना बताया एवं कब्जा अनुसार ऑनलाईन भू नक्शा में तरमीम दुरुस्ती किया जाना अपेक्षित बताया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान कियां जाता है कि वो ग्राम मालकोसनी तहसील बिलाडा के खसरा सं. 791/43 रकबा 1.4967 हैक्टयर की तरमीम फर्द मौका रिपोर्ट 16/10/2024 में वर्णितानुसार दुरूस्त कर शीघ्र से शीघ्र न्यायालय के समक्ष पेश करे। फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 16/10/2024 को इस निर्णय का भाग समझा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 19/11/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा